दिनांक 06 जून 2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

महापौर परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर बनी सहमति

भिलाईनगर/ महापौर परिषद की बैठक महापौर श्री देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। प्रातः 11:30 बजे से आहूत महापौर परिषद की बैठक महापौर श्री देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता एवं आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ! सोशल डिस्टेंस के पालन के तहत बैठक निगम सभागार में रखा गया ! महापौर परिषद के 2 नए सदस्य भी इस बैठक में सम्मिलित हुए! नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जोन क्रमांक 4 शिवाजी के क्षेत्रों से निकलने वाले मलमूत्र को प्रोसेसिंग किए जाने हेतु जनसंख्या अनुसार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है जिसमें राशि रुपए 1071.60 लाख की आवश्यकता होगी, महापौर परिषद ने शासन को पत्र भेजे जाने के लिए इस पर सहमति जताई है! जोन क्रमांक 4 खुर्सीपार अंतर्गत वार्ड क्रमांक 30 अंडा चौक के समीप इंग्लिश मीडियम स्मार्ट स्कूल निर्माण कार्य , जवाहर नगर स्थित रिक्त भूखंड स्कूल हेतु आवंटन , कोविड-19 के रोकथाम में संलग्न कर्मचारियों का बीमा कराने के संबंध में तथा छात्रावास भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन करते हुए नक्शा खसरा उपलब्ध कराने के संबंध में महापौर परिषद के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई! वार्ड निगरानी समिति का होगा गठन बाहर राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की मानिटरिंग निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गठित टीम द्वारा की जा रही है तथा संबंधित क्षेत्र के जोन आयुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है , बाहर से आने वालों की जानकारी एकत्रित करने के लिए तथा होम आइसोलेशन मे रह रहे व्यक्तियों की सघन निगरानी के लिए वार्ड निगरानी समिति का गठन जोन स्तर पर किया जाएगा! इस कार्य में पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए है! महापौर ने जताई नाराजगी महापौर श्री देवेंद्र यादव ने जोन आयुक्तों को स्पष्ट रूप से कहा बाहर से आने वालों की जानकारी से लेकर होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की निगरानी करने के कार्य को गंभीरता से लेवे और दिन में तीन से चार बार होम आइसोलेशन वाले व्यक्तियों की जानकारी लेते हुए कि कहीं वह बाहर तो नहीं निकल रहे हैं या किसी के संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं इन पर कड़ी निगरानी रखने गठित दल क्षेत्रों में सक्रिय रहें! यदि होम आइसोलेशन में रह रहा है व्यक्ति निर्धारित अवधि पूर्ण किए बिना कहीं बाहर निकलता है और इसकी सूचना प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही करें! इन सभी कार्यों को गंभीरता से नहीं लेने वाले जोन आयुक्त जिम्मेदार होंगे! होम आइसोलेशन किए गए व्यक्तियों के द्वारा आइसोलेशन की निर्धारित अवधि पूर्ण किए बिना निकलने पर होगी एफ आई आर बाहर से आए हुए ऐसे व्यक्ति जिनके घरों में होम आइसोलेशन से संबंधित स्टीकर लगाया गया है और जो होम आइसोलेशन की निर्धारित अवधि पूर्ण किए बिना घरों से बाहर निकलेंगे उन पर सीधे जोन स्तर से एफआईआर कराई जाएगी , इसके लिए आयुक्त महोदय ने जोन के अधिकारियों को निर्देशित किया है!बैठक में महापौर परिषद के सदस्य नीरज पाल, लक्ष्मीपति राजू, जोहन सिन्हा, दिवाकर भारती, सूर्यकान्त सिन्हा, श्रीमती सुभद्रा सिंह, दुर्गा प्रसाद साहू, सुशीला देवांगन, सोसन लोगन, सदरीन बानो, जी राजू एवं सत्येंद्र बंजारे अधीक्षण अभियंता आरके साहू , उपायुक्त अशोक द्विवेदी व तरुण पाल लहरें सहित जोन आयुक्त एवं विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।